भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3079
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में आंकड़े

3079. श्री कीर्ति आज़ाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावों में मतदान केन्द्रों से मतदान करने वाले दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में देश भर में राज्यवार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले आम चुनाव में राज्यवार तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों के चुनावों में कितने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग व्यक्तियों को तैनात किया गया ; और

(घ) पिछले आम चुनाव में सक्षम पोर्टल पर चुनाव आयोग को दुर्गम मतदान केन्द्रों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि ऐसा कोई डाटा एकत्रित नहीं किया गया है ।

(ख) : लागू नहीं होता ।

(ग) : भारत निर्वाचन आयोग ने अपेक्षित डाटा उपलब्ध कराया है, जो **उपाबंध 1** पर संलग्न है ।

(घ) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि सक्षम पोर्टल पर, लोक सभा निर्वाचन, 2024 के साधारण निर्वाचन के दौरान मतदान दिन से संबंधित 32 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनमें से कोई भी दुर्गम मतदान केंद्रों के संबंध में नहीं थी ।

*****

उपाबंध 1

पिछले आम में राज्यवार और पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी मतदान केन्द्रों की संख्या, जिन पर दिव्यांग व्यक्तियों को तैनात किया गया है

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लोक सभा आम चुनाव में	राज्यों के चुनावों में (पिछले 03 वर्षों में)
आंध्र प्रदेश	59	37
अरुणाचल प्रदेश	03	03
असम	23	लागू नहीं
बिहार	230	लागू नहीं
छत्तीसगढ	90	90
गोवा	08	09
गुजरात	33	33
हरियाणा	76	76
हिमाचल प्रदेश	28	37
झारखंड	48	46
कर्नाटक	224	224
केरल	06	लागू नहीं
महाराष्ट्र	265	253
मध्य प्रदेश	166	170
मणिपुर	03	01
मेघालय	01	00
मिजोरम	01	00
नागालैंड	04	03
ओडिशा	84	84
पंजाब	104	71
राजस्थान	200	200
सिक्किम	01	00
तमिलनाडु	03	लागू नहीं
तेलंगाना	120	120
त्रिपुरा	60	44
उत्तर प्रदेश	317	40
उत्तराखंड	70	06
पश्चिमी बंगाल	30	लागू नहीं
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	00	00
चंडीगढ़	05	लागू नहीं
दिल्ली	07	लागू नहीं
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	03	लागू नहीं
जम्मू-कश्मीर	85	93
लद्दाख	02	लागू नहीं
लक्षद्वीप	00	00
पुडुचेरी	01	00

****